राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर–75/2021

रेखा कुमारी पुत्री लीलाधर निवासी मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीया

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 02–09–2021**

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 167 में प्रार्थीया के दादा का नाम माड़िया के स्थान पर माडुराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 167 ग्राम मेहाड़ा जाटूवास पेश की गई।

प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 167 में प्रार्थीया के दादा का नाम माड़िया के स्थान पर माडुराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074 लगायत 2077 के खाता संख्या 167 में प्रार्थीया के दादा का नाम माड़िया के स्थान पर माडुराम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2021.09.30 15:05:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner